

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जून, 2018-ज्येष्ठ 11, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मंजू जैन पत्नि श्री ऋषभ कुमार जैन, निवासी कुंदन नमकीन सेन्टर के पास, मकान नं. 49, घोड़ा नक्कास रोड़, भोपाल (म.प्र.) सूचित करती हूँ कि मेरी हाईस्कूल की अंकसूची में मेरा पूर्व नाम माया जैन पुत्री राजकुमार जैन अंकित है एवं वर्तमान में मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों तथा आधार कार्ड व पेनकार्ड इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती मंजू जैन अंकित है जो कि मेरा वर्तमान एवं प्रचलित नाम है जबकि माया जैन एव मंजू जैन दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे श्रीमति मंजू जैन पत्नी श्री ऋषभ कुमार जैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(माया जैन)

पुत्री राजकुमार जैन.

(142-बी.)

नया नाम :

(मंजू जैन)

पत्नी- श्री ऋषभ कुमार जैन.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता है. अब मैंने अपना नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता से बदलकर राजेश गुप्ता रख लिया है. अतः भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम राजेश गुप्ता से ही जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)

(143-बी.)

नया नाम :

(राजेश गुप्ता)

निवासी-104, मिस्त्री खाना,
चना कोठार, लशकर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, डिमाक सिंह राजपूत पिता श्री हुलकर सिंह राजपूत, पता-ग्राम बर्गा, पोस्ट सादक, सिवनी, थाना छपारा, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी म.प्र. अपना नाम परिवर्तित कर दिव्यांश सिंह राजपूत रख लिया है. आज दिनांक 29-12-2017 से मुझे मेरे नये नाम दिव्यांश सिंह राजपूत के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(डिमाक सिंह राजपूत)

नया नाम :

(दिव्यांश सिंह राजपूत)

पिता-श्री हुलकर सिंह राजपूत,
पता-ग्राम बर्गा, पोस्ट सादक सिवनी, थाना छपारा,
तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.).

(144-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कक्षा 10 की अंकसूची में मेरा नाम RITESH SHARMA (रीतेश शर्मा) लिखा है जो कि गलत है मेरा सही नाम जो कि कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम REETESH SHARMA (रीतेश शर्मा) लिखा है. जो कि सही है. मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड सभी में REETESH SHARMA (रीतेश शर्मा) लिखा है. जो सही है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः सर्व सूचित हों.

पुराना नाम :

(RITESH SHARMA)

नया नाम :

(REETESH SHARMA)

ग्राम व पोस्ट-एराया, तहसील चीनोर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(146-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र संजय रघुवंशी के कुछ दस्तावेजों में पिता का नाम रामकरण सिंह एवं कुछ में बाबूलाल दर्ज हैं. उक्त दोनों नामों से मेरे पति को जाना जाता था.

अतः अब मेरे पुत्र को संजय रघुवंशी पुत्र रामकरण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में भी मेरे पुत्र के इसी नाम का उपयोग किया जावे.

प्रेमबाई,

27/26, जतरा पुरा नदीरोड,
श्रीरामनगर, विदिशा (म.प्र.).

(147-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का जन्म के समय दृष्टि राजपूत नाम रखा गया था जो कि उसकी एल. आई. सी. पॉलिसी में भी दर्ज है. जो कि बाद में बदलकर प्रमान्या राजपूत पुत्री श्री सुनील सिंह यादव रख लिया है तथा पुत्री के सभी दस्तावेज भी प्रमान्या राजपूत के नाम से ही हैं. अतः भविष्य में प्रमान्या राजपूत पुत्री श्री सुनील सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

सुनील सिंह यादव,

पता-ए-21, आनन्द नगर, ग्वालियर.

(148-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में सुशीला कुशवाह था तथा शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती शीला कुशवाह पति श्री माधव सिंह कुशवाह, निवासी गोड़े वाली सड़क, न्यू शांति नगर, ग्वालियर हो गया है. मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों

जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक की पास बुक इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती शीला कुशवाह के नाम से ही दर्ज है. अतः मुझे श्रीमती शीला कुशवाह पत्नि श्री माधव सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. सुशीला कुशवाह एवं श्रीमती शीला कुशवाह मेरे दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं. मेरे पति के सर्विस बुक में दर्ज सुशीला कुशवाह के स्थान पर मेरा नाम श्रीमती शीला कुशवाह पत्नि श्री माधव सिंह कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(सुशीला कुशवाह)

(155-बी.)

नया नाम :

(शीला कुशवाह)

निवासी-गेड़े वाली सड़क,
न्यू शांति नगर, ग्वालियर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एस. आर. डी. कान्स्ट्रक्शन प्रभात बिहार कॉलोनी, सतना पंजीयन क्र. 05/26/01/00105/10 उक्त फर्म में दो साझेदार 1. शिव प्रसाद शुक्ला, 2. वैभव मिश्रा हैं, जो कि 1 अप्रैल, 2015 से एक साझेदार वैभव मिश्रा पृथक् हो चुके हैं. उनकी लेनदेन एवं देनदारियां शेष नहीं हैं. किसी को आपत्ति है तो यह सूचना प्रकाशन से 15 दिवस के भीतर सूचित करें. अन्यथा उसके किसी भी प्रकार के दावे आपत्ति को मान्य नहीं किया जावेगा.

For : SRD Construction,

शिव प्रसाद शुक्ला,

(भागीदार).

(149-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स सम्राट कंस्ट्रक्शन, वार्ड क्र. 9, वलवंत नगर, नया बस स्टैण्ड, मौ, जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/0247/16, दिनांक 31-03-2016 है जिसमें दिनांक 28-02-2018 को अपनी साझेदारी फर्म में फर्म के स्थान व साझेदारी में परिवर्तन कर नवीन स्थान मिल्क पट्टी मोहल्ला, रतवा चौराहा के पास वार्ड नं. 12, मौ, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश तथा पक्षकार क्रमांक 1. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम कुशवाह, आयु 29 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 9, गोरियां मोहल्ला, नया बस स्टैण्ड, मौ, जिला भिण्ड तथा पक्षकार क्रमांक 4 श्री लाखन सिंह कुशवाह पुत्र श्री रामप्रसाद, आयु 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 14, मौ, जिला भिण्ड जोकि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा इनके स्थान पर पक्षकार क्रमांक 4 कु. रोशनी कुशवाह पुत्री श्री लाखन सिंह, आयु 18 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 14, बेहट रोड, मौ, जिला भिण्ड जो कि नवीन साझेदार के रूप में शामिल हुई हैं. इस फर्म से पृथक् हुए साझेदारों का इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स सम्राट कंस्ट्रक्शन,

कल्याण सिंह,

(पार्टनर)

Add :- Ward No. 9, Balwant Nagar,
Near Bus Stand, Mau (Bhind).

(150-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म न्यू दाउ बाबा स्टोन क्रेशर स्थित 107, सखिया विलास, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0268/18, दिनांक 12 जनवरी, 2018 है जिसमें दिनांक 21-05-2018 को भागीदार श्री लखन लाल गौर पुत्र स्व. श्री भजन लाल गौर एवं श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्रीलाल शर्मा भागीदारी फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 21-05-2018 श्रीमती शान्ती देवी गौर पत्नि श्री लखन लाल गौर एवं नवनीत शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक से फर्म के नाम में परिवर्तन कर नवीन नाम न्यू जय दाउ बाबा स्टोन क्रेशर हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म मै. न्यू दाउ बाबा स्टोन क्रेशर,

सरदार सिंह गुर्जर,

(भागीदार)

ग्वालियर.

(151-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जे. एस. आर. गुप्स स्थित शॉप नं. 09, फर्स्ट फ्लोर टाउन हॉल, जीवाजी गंज मुरैना, जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0218/17, दिनांक 21 नवम्बर, 2017 है। जिसमें दिनांक 24-02-2018 को भागीदार श्रीमती मिथलेश गुर्जर पत्नी श्री पटवारी सिंह, नि.-सिद्ध नगर, मुरैना अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक 24-02-2018 को श्री महेश कुमार राठोर पुत्र श्री विधी चंद्र राठोर, निवासी पटीगली दत्तपुरा, मुरैना फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मै. जे. एस. आर. गुप्स,
राहुल सिंह सिकरवार,
(भागीदार)
मुरैना.

(152-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर हेरिटेज, ई-1/50 बी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462003, फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0305/15, सन् 2015-16 फर्म के पार्टनर नं. 02 श्रीमती सुषमा चौबे, पुत्री डॉ. एस. एन. शर्मा, फ्लेट नं. 104, मेघना अपार्टमेंट, प्लाट नं. 02, फेस-II, 12 नं. बस स्टॉप नं. ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, दिनांक 31-12-2017 से फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गई हैं, जिनका फर्म के किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा तथा सुश्री रिया केसरी, पुत्री श्री अजीत केसरी, डी एक्स डी-3, चार ईमली, भोपाल-462016 फर्म में साझेदार के रूप में दिनांक 31-12-2017 से सम्मिलित हो गई हैं। वर्तमान में फर्म के भागीदार श्रीमती ऋतु केसरी व सुश्री रिया केसरी रहेंगी एवं इनके द्वारा फर्म के कार्यों, गतिविधियों, क्रियाकलापों, वित्तीय लेन-देन इत्यादि कार्यों का संपादन किया जावेगा।

द्वारा फर्म-मेसर्स आर हेरिटेज,
ऋतु केसरी,
(प्रोपराईटर एवं पार्टनर)

(156-बी.)

ई-1/50 बी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

जाहिर सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना)

सर्व-सूचित हो कि फर्म मैसर्स ए. एस. पी. एण्ड एसोसिएट्स एक पंजीयन फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/02/0140/15, (सन् 2015-16) है। इस फर्म का पता मकान नं. 2, सूर्या कॉलोनी, राम नगर कालोनी के पास, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश है। इस फर्म में से श्री आरूल शर्मा पचौरी पिता श्री सुरेश पचौरी, पृथक् हो गये हैं एवं श्री राजेश शर्मा पिता स्व. श्री नारायण लाल शर्मा शामिल हो गये हैं।

अतएव दिनांक 15 फरवरी, 2018 से मेसर्स ए. एस. पी. एण्ड एसोसिएट्स फर्म में अब क्रमशः श्री अरनव शर्मा पचौरी एवं श्री राजेश शर्मा भागीदार हैं।

M. P. UPADHYAY, B.A., L.L.B
(Advocate)
4, Alaknanda Complex, Zone-1,
M.P. Nagar, Bhopal.

(153-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 22 मई, 2018

निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(29)2018/1296.—स्थानीय स्तर के इच्छुक निविदाकारों से समस्त करों सहित स्क्रीन प्रिंटिंग, प्लेट मैकिंग, यू.व्ही. कोटिंग संबंधित विधाओं के कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं कामशियल भाग की -डेट्स अनुसार ऑनलाईन ई-टेंडर <https://mpeproc.gov.in> से दिनांक 14 जून, 2018 अपराह्न 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी भाग दिनांक 14 जून, 2018 को अपराह्न 04.00 बजे एवं निविदा का कामशियल भाग दिनांक 15 जून, 2018 को अपराह्न 12.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाऊनलोड की जावेगी।

- ऑनलाईन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक की जानकारी, हार्डकापी, स्थापित उपकरणों की सूची, नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को <https://mpeproc.gov.in> पर अवलोकन हेतु रखा गया।
4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

(616)

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2018

निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(66)2017/1354.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में “ए” एवं “बी” आफसेट श्रेणी में जीवित पंजीकृत समस्त मुद्रकों से मुद्रण एवं अन्य संबंधित विधाओं के कार्य कराने हेतु समस्त कर सहित (प्लेट सहित) तकनीकी भाग एवं कार्मशियल भाग की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन ई-टेंडर <https://mpeproc.gov.in> से दिनांक 08 जून, 2018 अपराह्न 01.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है। तकनीकी भाग दिनांक 08 जून, 2018 को अपराह्न 03.00 बजे एवं निविदा का कार्मशियल भाग दिनांक 11 जून, 2018 को अपराह्न 12.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाऊनलोड की जावेगी।

2. ऑनलाईन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक एवं दो की जानकारी की हार्डकापी, स्थापित मशीनों की सूची, नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को <https://mpeproc.gov.in> पर अवलोकन हेतु रखा गया।
4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

राजेश कौल,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

(617)

न्यायालयों की सूचनाएं**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी/लोक न्यास पंजीयन अधिकारी, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर**

रा.प्र.क्र./बी-113/2017-18.

दिनांक 24 मार्च, 2018

प्रारूप-तृतीय

[नियम पांच(1) देखिये]

एतद् सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के समय यह कि आवेदक लक्ष्मण कुमार जायसवाल मुख्य प्रबंध ट्रस्टी रामबहादुर सिंह, सहायक वगै., निवासी राजेन्द्रग्राम, तहसील पुष्पराजगढ़ व्यवसाय समाज सेवा थाना राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया गया है। एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 21 मार्च, 2018 को न्यायालय में विचार लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन तारीख में एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख के अन्दर व्यक्तिशः अथवा प्लीडर, अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त किसी भी प्रकार के आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : गायत्री प्रज्ञा पीठ मंदिर राजेन्द्रग्राम, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.
2. चल सम्पत्ति : नगद रुपये 1,30,000.00.
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम राजेन्द्रग्राम, तहसील पुष्पराजगढ़ की आराजी खसरा क्रमांक 258/2ख रकवा 0.478 व 299/1 रकवा 0.008 हे. कुल रकवा 0.486 हे. भूमि.

बाला गुरूके,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक (रा.).

(595)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संयोगिता गंज क्षेत्र इन्दौर**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा न्यास, पता 303, महासागर कार्पोरेट, 10/4, मनोरमागंज इन्दौर तर्फे न्यासधारी श्री जयंत गुप्ता (नागौरी) पिता बंशीलाल गुप्ता 11, मिश्र विहार गीता भवन के पास इन्दौर द्वारा श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा न्यास का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा न्यास”.
पता	:	303, महासागर कार्पोरेट, 10/4, मनोरमागंज, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी ग्यारह हजार मात्र) है.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(596)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री जयंत गुप्ता (नागौरी) पिता बंशीलाल गुप्ता, पता 11, मिश्र विहार गीता भवन के पास इन्दौर द्वारा अखिल भारतीय (धा.) माहेश्वरी सभा, पता 303, महासागर कार्पोरेट, 10/4, मनोरमागंज, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“अखिल भारतीय (धा.) माहेश्वरी सभा”.
पता	:	303, महासागर कार्पोरेट, 10/4, मनोरमागंज, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी ग्यारह हजार मात्र) है.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(597)

शालिनी श्रीवास्तव,
पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री शंकर पिता किशनचंद हरियानी, निवासी 435, अमितेश नगर नई सब्जी मंडी के पास इन्दौर द्वारा कृपाल एकेडमी,

पता प्लॉट नं. 5 ए, आई. डी. ए. स्कीम नं. 71, सी इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क 5/- का चालान क्रमांक 57, दिनांक 05 सितंबर, 2017 प्रस्तुत किया गया है. न्यास की चल सम्पत्ति/अचल सम्पत्ति निरंक है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	कृपाल एकेडमी.
कार्यालय पता	:	प्लॉट नं. 5 ए, आई. डी. ए. स्कीम नं. 71, सी इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(598)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री रामचन्द्र पिता नाथूराम सिलोदिया, पता 176, बी, प्रजापत नगर, इन्दौर द्वारा श्री विश्वकर्मा (सुतार) सामाजिक पारमार्थिक ट्रस्ट, पता 212, बी, प्रजापत नगर, इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क 5/- का चालान क्रमांक 41, दिनांक 20 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया है. न्यास की चल सम्पत्ति में मात्र रुपये 2000/- नगद है तथा न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री विश्वकर्मा (सुतार) सामाजिक पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	212, बी, प्रजापत नगर, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	2000/- रु. नगद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(599)

बिहारी सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर मध्यप्रदेश जिला इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री नार्मदीय ब्राम्हण समाज न्यास-तल भाग-162 बी, वीणानगर, सुखलिया इंदौर तर्फे न्यासीगण, श्री संजय कुमार टेमले

पिता स्व. श्री रामशंकर टेमले, निवासी तल भाग 162-बी, वीणानगर, सुखलिया, इन्दौर द्वारा श्री नार्मदीय ब्राम्हण समाज न्यास तल भाग 162-बी, वीणानगर, सुखलिया, इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री नार्मदीय ब्राम्हण समाज न्यास.
पता	:	तल भाग-162 बी, वीणानगर, सुखलिया इंदौर.
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में अचल सम्पत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में चल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(600)

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवम् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर, जिला उज्जैन

प्र.क्र./01/बी-113/2017-18.

महिदपुर, दिनांक 10 मई, 2018

प्रारूप-पाँच

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का तीसवाँ) की धारा-2 तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]

लोक न्यास के पंजीयक, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के समक्ष क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूचित में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का तीसवाँ) की धारा-2 की उपधारा-4 के अधिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, जगदीश गोमे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12 जून, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम	:	श्री शत्रुंजय आदिनाथ तीर्थधाम ट्रस्ट
पता	:	किला जैन मंदिर, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.).
स्थावर सम्पत्ति	:	नगरपालिका परिषद, महिदपुर के वार्ड क्रमांक 8, किला स्थित म्युनिसिपल सर्वे नम्बर 109 में स्थित जैन मंदिर.
जंगम सम्पत्ति	:	श्री आदिनाथ किला मंदिर के आभूषण.

1. मूल नायक जी की अंगी.

अंगी	पाखर	कुण्डल	मुकुट	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
1	2	2	1	6	6.757

2. मुलनायक जी के

मुकुट	कुण्डल	किलंगी	छत्र	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
1	2	1	1	5	0.808

3. श्री शांतिनाथ भगवान की अंगी

अंगी	पाखर	कुण्डल	मुकुट	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
1	2	2	1	6	2.280

4. श्री चंदाप्रभुजी भगवान की अंगी

अंगी	पाखर	कुण्डल	मुकुट	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
1	2	2	1	6	2.180

5. सिद्धांचल रचना मूलनायकजी का

मुकुट	छत्र	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
1	1	2	2.715

कुल नग
वजन
(किलो ग्राम)

6.	किलंगी	15	0.230
7.	बिजौरा	1	0.090
8.	हस्त	4	0.800
9.	श्री शासन माता का मुकुट/कुण्डल/गला पट्टी	कुल नग 2	वजन (किलो ग्राम) 0.085
10.	श्री मणिभद्र महाराज का मुकुट/छत्र/चेन	3	0.030 0.085

श्री आदिनाथ किला मंदिर में प्रतिदिन चढ़ाये जाने वाले चांदी के आभूषणों की सूची.

1. श्री आदिनाथ मूलनायकजी भगवान

कुण्डल	मुकुट	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
2	1	3	0.690

2.

छत्र	टोपी	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
1	1	2	0.600

स्वर्ण अभूषण	कुल नग	वजन (किलो ग्राम)
मुलनायक भगवान की शीश पट्टी	1	7.000
मुलनायक भगवान की गला पट्टी	1	7.500

(601)

जगदीश गोमे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग-कोतवाली, जिला जबलपुर

प्र.क्र.05/बी-113/2017-18.

प्रारूप-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक ट्रस्ट सक्रिय सम्यकदर्शन सहकार संघ जबलपुर की ओर से आवेदक सी. ए. सुलभ कुमार जैन (अध्यक्षक) पिता सतीशजैन, निवासी 82/2, ब्लॉक आफिस के सामने, भोपाल, सागर रोड बेगमगंज, तहसील रायसेन के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूचित में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यासियों का नाम एवं पता तथा निर्धारित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम/पिता का नाम	पता	पद
1.	सुलभ कुमार जैन	82/2, ब्लॉक आफिस के सामने, भोपाल, सागर रोड बेगमगंज, तहसील रायसेन.	अध्यक्ष
2.	सुनील जैन	584, एम. जी. रोड, इन्दौर जी. पी. ओ. इन्दौर	सदस्य
3.	दीपक जैन	अमरकंटक पुष्पगजगढ़	सदस्य
4.	पदमराज लक्ष्मण हनामाककानावर	संतनाथ जैन मंदिर मद्दी गल्ली कर्नाटक	सदस्य
5.	रोनक सिंघई	गढा फाटक लाल स्कूल के पास जबलपुर	सदस्य

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 06 जून, 2018 को विचार के लिये नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : ट्रस्ट सक्रिय सम्यकदर्शन सहकार संघ
69, शीतलपुरी बल्देवबाग, जबलपुर (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.
4. न्यास की आय का साधन : दान एवं चंदे के द्वारा.

जारी, दिनांक 22 मई, 2018

पेशी, दिनांक 06 जून, 2018

(618)

मुनीष सिंह सिंकरवार,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, सोहागपुर, जिला शहडोल**प्रारूप क्रमांक-4**

[देखे नियम 5(1)]

यतः कि अंकित श्रीवास्तव पिता पंकज श्रीवास्तव, निवासी वार्ड नम्बर 32, बलपुरवा, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 15 मई, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः तत्संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख को व्यक्तिशः अथवा अभिकर्ता, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	शुभलाभ एजुकेशन ट्रस्ट, कार्यालय का पता-वार्ड नम्बर 32 बलपुरवा तहसील सोहागपुर.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम बलपुरवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 147/5 रकबा 0.035 हे. भूमि पर निर्मित चार कमरे एक हॉल व दो टायलेट. (भूमिस्वामी पंकज श्रीवास्तव पिता परमेश्वरी दयाल श्रीवास्तव).

आज दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

रमेश कुमार सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी.

(551)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1027.—दुर्गेश्वरी साख सहकारी समिति मर्यादित, हथवास, पंजीयन क्रमांक 2965, दिनांक..... को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2018/252, दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा 69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-1999-15-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर दुर्गेश्वरी साख सहकारी समिति मर्यादित, हथवास को अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम, की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(559)

होशंगाबाद, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1028.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2379, दिनांक 03 अप्रैल, 1992 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2379, दिनांक 03 अप्रैल, 1992 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(560)

होशंगाबाद, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1029.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./3014, होशंगाबाद, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मालहनवाडा पंजीयन क्र. 2683, दिनांक 22 जनवरी, 1999 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एल. एल. अम्बुलकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मालहनवाडा पंजीयन क्र. 2683, दिनांक 22 जनवरी, 1999 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(561)

होशंगाबाद, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1030.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./3010, होशंगाबाद, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन संकल्प प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2350, दिनांक 21 जनवरी, 1991 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मोने, उप अंकेक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद, परिसमापन संकल्प प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2350, दिनांक 21 जनवरी, 1991 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(562)

होशंगाबाद, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1031.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./3010, होशंगाबाद, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटटी पंजीयन क्र. 2434, दिनांक 26 जून, 1994 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मोने, उप अंकेक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद, परिसमापन तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटटी पंजीयन क्र. 2434, दिनांक 26 जून, 1994 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(563)

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 26 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1053.—श्री महावीर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 101, दिनांक 31 जुलाई, 2008 आदेश क्रमांक 913, दिनांक 15 मार्च, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री चन्द्रेश जोशी को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./913, दिनांक 15 मार्च, 2017 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत श्री महावीर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 101, दिनांक 31 जुलाई, 2008 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(564)

उज्जैन, दिनांक 26 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1054.—सूरज बीज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 27 फरवरी, 2008 आदेश क्रमांक 671, दिनांक 09 मार्च, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./671, दिनांक 09 मार्च, 2015 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत सूरज बीज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 27 फरवरी, 2008 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(565)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3154.-जय माँ काली मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कमालपुर, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 703, दिनांक 31 अगस्त, 2016 के परिसमापक श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है. जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2017/2735, दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है. नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. श्री हरिराम केवट | अध्यक्ष |
| 2. श्री चिल्लू केवट | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री रोशन केवट | सदस्य |
| 4. श्री किशोर केवट | सदस्य |
| 5. श्रीमती जसोदा केवट | सदस्य |

(566)

शिवपुरी, दिनांक 24 मार्च, 2018

क्र./परि./2017/596.—अनुसूचित जाति मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, पिछोर, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 305, दिनांक 01 फरवरी, 1995 के परिसमापक श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशांसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2016/1005, दिनांक 16 मई, 2016 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करे अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. श्री ब्रजमोहन पचौरी | अध्यक्ष |
| 2. श्री प्रदीप खटीक | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री रविन्द्र पचौरी | सदस्य |
| 4. श्री धर्मेन्द्र | सदस्य |
| 5. श्री सत्यप्रकाश | सदस्य |

(543)

शिवपुरी, दिनांक 28 मार्च, 2018

क्र./परि./2017/597.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, टोरियाखुर्द, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 720, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के परिसमापक श्री हर्षवर्धन, उप अंकेक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशांसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2017/1232, दिनांक 04 मई, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करे अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी:-

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. श्रीमती रानी देवी जाटव | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती लक्ष्मी देवी सौलंकी | उपाध्यक्ष |
| 3. श्रीमती देवी बाई योगी | सदस्य |
| 4. श्रीमती कपूरी जाटव | सदस्य |
| 5. श्रीमती कस्तूरी जाटव | सदस्य |
| 6. श्रीमती रजनी सौलंकी | सदस्य |

(544)

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 15 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/1367.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1829, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा दुर्वा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीयन क्रमांक 319, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वांछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वांछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 मई, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(611)

इन्दौर, दिनांक 15 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/1368.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1830, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा निमाड़ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीयन क्रमांक 320, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वाँछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 मई, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(612)

इन्दौर, दिनांक 15 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/1369.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1834, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा मण्डी अधिकारी/कर्मचारी साख सहकारी साख मर्या., इन्दौर पता-नायक कॉम्प्लेक्स, त्रिकोण चौराहा सनावद, जिला खरगौन (पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 04 जुलाई, 2017) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित पत्र संस्था द्वारा पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं होने से डाक विभाग द्वारा वापस प्रेषित किया गया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी

सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 मई, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(613)

अभय खरे,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 14 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/527.—राज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर (पंजीयन क्र. 2011, दिनांक 18 अप्रैल, 2007) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2016/372, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बुरहानपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के परिसमापक श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 18 अप्रैल, 2018 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशांसा कर प्रस्ताव कार्यालय को अपने पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतित होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर (पंजीयन क्र. 2011, दिनांक 18 अप्रैल, 2007) को पुनर्जीवित करता हूँ तथा उक्त परिसमापन आदेश क्रमांक/विधि/2016/372, दिनांक 20 जून, 2016 को निरस्त करता हूँ साथ ही संस्था को कारोबार संचालन हेतु प्रस्तावित नौ सदस्यीय अस्थाई कमेटी का गठन निम्नानुसार अनुमोदित करता हूँ:-

- | | |
|--|---|
| 1. श्री शेख शोएब शे. सलीम, अध्यक्ष | 7. श्री मो. अबरार मो. कमाल, संचालक |
| 2. श्री शेख सोहेल शे. सलीम, उपाध्यक्ष | 8. श्रीमती शाहीन बानो मो. अबरार, संचालक |
| 3. श्री सलीम खां शे. मुनीर, संचालक | 9. श्री शेख हकीम शे. करीम, संचालक |
| 4. श्रीमती शमीम बानो शेख मुस्ताक, संचालक | |
| 5. श्री शेख मुस्ताक शे. मुसा, संचालक | |
| 6. श्रीमती साजिदा बानो अ. करीम, संचालक | |

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन निर्धारित अवधि में करवा कर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 14 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(609)

बुरहानपुर, दिनांक 14 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/528.—ब्लु स्टार पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर (पंजीयन क्र. 045, दिनांक 06 जून, 2014) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2016/388, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बुरहानपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के परिसमापक श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 20 अगस्त, 2017 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशांसा कर प्रस्ताव कार्यालय को अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतित होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त

पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्लु स्टार पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर (पंजीयन क्र. 045, दिनांक 06 जून, 2014) को पुर्नजीवित करता हूँ तथा उक्त परिसमापन आदेश क्रमांक/विधि/2016/388, दिनांक 20 जून, 2016 को निरस्त करता हूँ. साथ ही संस्था को कारोबार संचालन हेतु प्रस्तावित नौ सदस्यीय अस्थाई कमेटी का गठन निम्नानुसार अनुमोदित करता हूँ:-

- | | |
|---|---|
| 1. श्री हकीमउल्ला न्यामतउल्ला, अध्यक्ष | 7. श्रीमती तरनुम बानो न्यामतउल्ला, संचालक |
| 2. श्री एहकामउल्ला न्यामतउल्ला, उपाध्यक्ष | 8. श्रीमती यासमीन बानो मुस्ताक अहमद, संचालक |
| 3. श्री इसरार अहमद इतेखार अहमद, संचालक | 9. श्रीमती फौजिया बानो खुर्शीद अनवर, संचालक |
| 4. श्री असदउल्ला इरफानउल्ला, संचालक | |
| 5. श्री अशाफाक हुसैन लियाकत हुसैन, संचालक | |
| 6. श्री इज्जतउल्ला हमीदउल्ला, संचालक | |

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन निर्धारित अवधि में करवा कर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौपा जावे. यह आदेश आज दिनांक 14 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(610)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 15 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/897.—हरिजनोद्धार गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, पंजीयन क्रमांक 104, दिनांक 14 जुलाई, 1957 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 का पालन करने में विफल रहने से संस्था को “कारण बताओ सूचना-पत्र” जारी करते हुए निर्धारित समयावधि पश्चात् मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/17/298, रतलाम दिनांक 03 फरवरी, 2017 से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. एस. राठौर, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था. परिसमापक द्वारा अपने पत्र से अवगत कराया गया है कि सदस्यों के आवेदन पर संस्था की आमसभा बुलाई गयी. जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा ठहराव किया गया कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति न होने से संस्था क अस्तित्व में बना रहना आवश्यक है. जिसमें संस्था को परिसमापन से बाहर लाये जाने का निवेदन किया गया है. संस्था के परिसमापक के पत्र से मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत हरिजनोद्धार गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए संस्था के सामान्य कामकाज के लिये श्रीमति मधु बाई, पूर्व अध्यक्ष, श्री नवीन पतरोड़, सदस्य एवं श्री विजय शिंदे, पूर्व उपाध्यक्ष की तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त करता हूँ जोकि आदेश दिनांक से तीन माह में संस्था का वर्ष 2017-18 तक का अंकेक्षण पूर्ण करावें तथा निर्वाचन की कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

परमानंद गोडरिया,
उप-पंजीयक.

(614)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जून, 2018-ज्येष्ठ 11, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, धार, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी व सिवनी में कहीं-कहीं जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी.**— जिला गुना में गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया व मसूर, जिला डिण्डोरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर एवं जिला श्योपुर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, देवास, इन्दौर, खरगोन, बडवानी, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, सिवनी व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति.** . .
5. **कटाई.**— जिला बुरहानपुर में फसल कपास की चुनाई एवं जिला अनूपपुर में कोदों-कुटकी व दमोह में खरीफ फसलों की कटाई कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई.**— जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा तुअर -कम, सरसों की फसल खड़ी. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. सरसों कम. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा अपर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर की बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, राहर, राई-सरसों, कम चना, गेहूँ-समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) धान, तिल, अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी की बोनी का कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज-कम. (2) उपरोक्त फसलें कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी की बोनी का कार्य चालू. खरीफ फसल की कटाई का कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा, सुधरी. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों-कम. चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल अधिक. कोदों, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .				
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू कोदों की कटाई चालू	3. . . 4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .				
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी चालू रबी की जुताई चालू	3. . . 4. (1) धान, ज्वार-कम. मक्का, उड़द, अरहर, तिल-अधिक. कोदों, मूंगमोठ-समान. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .				
2. पाली	. .				
3. चँदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू रबी की बोनी चालू	3. . . 4. (1) अलसी, चना, मसूर, जौ-समान. राई-सरसों, गेहूँ-कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .				
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) राहर, राई-सरसों, गेहूँ कम. अलसी समान. चना, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .				
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें असमान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .				
2. भानपुरा	. .				
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) गेहूँ, मटर कम. चना, मसूर अधिक. राई, सरसों-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..					
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4.(1) गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसल सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..					
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन समान. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..					
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..					
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4.(1) तुअर, चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..					
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	बोनी कार्य चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल -अधिक. सेयाबीन, कपास, मूंगली कम. (2) उपरोक्त फसलें ठीक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..					
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, मूंगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी के लिए जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम. कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) मक्का, गन्ना अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) सोयाबीन, ज्वार कम. उड़द, मूंगफली, तुअर, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) ज्वार मूंगफली, मक्का समान.		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई का कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) तुअर-कम कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ-कम. चना, मसूर-अधिक. गन्ना-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	..		4. (1) सोयाबीन, धान कम. मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. घोडाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचोली	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..		4. (1) गेहूँ, तुअर-कम. चना, मटर, मसूर, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन कम. उड़द, मूंग, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..		4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	..		(2) गेहूँ, सुधरी शेष फसलें बिगड़ी.		
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..		4. (1) तुअर-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	..		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, धान, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन, मूंग समान (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारम्भ. बोवनी कार्य प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई का कार्य चालू गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी का कार्य चालू.	3. . . 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख सामान्य. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जुन्नारदेव (जामई) 5. सांसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी की बोनी का कार्य चालू.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, रामतिल, अम्बाड़ी कम. ज्वार, समा., उड़द, सोया, अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. घनोरा 8. घंसोर				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) धान सामान्य. (2) धान सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबर्गा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलाँजी	. .				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.